



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



के.आ./के.आ./सू.अ/2018/134

दिनांक : 21 जून, 2018

श्री राहुल जसवाल,
पुत्र श्री नरेंद्र जसवाल,
125, गांधी नगर रतलाम
मध्य प्रदेश - 457 001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,


कृपया अपने पत्र दिनांक 31.05.2018 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी **अनुबंध क** पर संलग्न है।

यदि आप लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का पता निम्नवत है:

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सेक्टर - 29, गुडगांव - 122001, हरियाणा
Email ID: sanjeev@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

धन्यवाद।

भवदीय,

(अजय होलानी) 22/6

अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

श्री राहुल जसवाल द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये
आवेदन दिनांक 31.05.2018 के संबंध में

क्रम संख्या	आर. टी. आई प्रश्न	उपयुक्त जवाब
1	नियम आयोग के अनुसार केमिकल, कम्प्युटर, सिविल इंजीनियरिंग सतर्कता विभाग का पंचनामा बनाने के लिये वैध है या नहीं!! व निरीक्षक करके पंचनामा बनाने के लिये वैध है या नहीं। व निरीक्षक करके पंचनामा बनाया व उस पंचनामे का बिल किसी अन्य अधिकारी ने बनाया हो तो यह विधि अनुसार मान्य है कि नहीं।	केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता पुस्तक/गाइड 2017 के अनुसार सतर्कता विभाग द्वारा पंचनामा बनाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का विवरण नहीं है।

श्री राहुल जसवाल